न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–680–दो/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–05–2004 पारित द्वारा . . आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–113/अपील/96–97

.....

रामजी द्विवेदी तनय स्व0 रामसुन्दर द्विवेदी
निवासी–ग्राम मुकुन्दपुर, तहसील अमरपाटन
जिला–सतना, म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1– मदन कोल अध्यक्ष, आदिवासी
निवासी–ग्राम मुकुन्दपुर, तहसील अमरपाटन
जिला–सतना, म0प्र0

2– शासन म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अनावेदक क्र0 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक–113/अपील/96–97 में पारित आदेश दिनांक 11–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम मुकुन्दरपुर स्थित भूमि खसरा नं0 136 के रकबा 1.90 ए0 भूमि की आवास हेतु सुरक्षित करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सतना द्वारा पारित किया गया । जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपील

न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण क्रमांक 113/अपील/96–97 पर दर्ज किया गया और दिनांक 11.05.04 को आदेश पारित कर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार मानकर निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अपील में मुख्य आधार यह है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि वह 300 फलदार बड़े–बड़े वृक्ष आम, नींबू, आमला एवं बीही आदि के लगाये है तथा अपना मकान बनाया है । इसलिये उक्त भूमि को आबादी घोषित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश परस्पर विरोधाभाषी है, क्योंकि एक और आबादी के लिये भूमि घोषित करते है तथा दूसरी ओर उनके विरूद्ध धारा 248 के तहत अतिक्रमण की कार्यवाही कर रहे है । अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया । ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में विधिवत जांच किया जाना पाया गया । प्रकरण में इश्तहार जारी किया जाना पाया गया तथा संबंधित ग्राम पंचायत को भी इसकी सूचना दिया जाना पाया गया । जारी इश्तहार की समयावधि में आवेदक द्वारा कोई आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है । ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । यदि आवेदक अपना हक रखता था जो इश्तहार की समयावधि में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये, परन्तु उनके द्वारा नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में सुनवाई के लिये अवसर न दिये जाने का उनका तर्क मान्य योग्य नहीं है । जहां तक उनका यह कहना है कि उन्होंने भूमि पर बगीचा लगाकर कब्जा किया है । इस संबंध में उनके द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया और न ही कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया कि उनका उक्त शासकीय भूमि पर बगीचा लगाने की अनुमति लिया हो । अनाधिकृत रूप से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लेने और बाद में